मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आपकी अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2026 को सम्पन्न जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त पत्रावली में दायी और संलग्न है। कृपया उक्त कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने की कृपा करें।

(राकेश चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता
ख0का0उ0प्र0
जल निगम ग्रामीण,
बिजनौर।

RVS
19/8/2026
(रण विजय सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
बिजनौर

दिनांक 05.08.2026 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2026 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर में निर्माणाधीन पाइप पेयजल परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति, गुणवत्ता एवं संचालन के सम्बन्ध में एक विस्तृत समीक्षा बैठक आहूत की गयी।

बैठक में मुख्य रूप से श्री राकेश चौधरी अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0जल निगम(ग्रामीण), बिजनौर, श्री दीपक कुमार(सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, बिजनौर), श्री शुभम सक्सेना (सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, बिजनौर), श्री गौरव लवानिया (प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एल०सी०इन्फ्रा प्रो० प्रा०लि०), श्री संजय हांडू (महाप्रबंधक, मै० विंध्या टेलीलिंक्स लि०), थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी (TPI) के डी०पी०एम०, डी०पी०एम०यू० (DPMU) के जिला समन्वयक (DC), तथा जनपद में कार्यरत आई०एस०ए० (ISA) एवं आई०ई०सी० (IEC) एजेन्सियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा के दौरान स्थिति निम्नवत पायी गयी एवं कार्यों को समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने हेतु निम्नलिखित विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए–

1. ओवरहेड टैंक (OHT) निर्माण एवं योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं निर्धारित समय–सीमा

बैठक में दोनों कार्यदायी संस्थाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन उच्च जलाशयों (OHT) एवं योजनाओं के सिविल कार्यों की ब्लॉकवार व ग्रामवार गहन समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान एजेन्सीयों द्वारा निर्मित की जा रही जनपद की सभी पाइप पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्यों की गति को तेज करने के निर्देश दिए गए। प्रगति में तेजी लाने हेतु निम्नलिखित समय–सीमा (Timeline) कड़ाई से निर्धारित की गयी।

1– मै0एल0सी0इन्फ्रा प्रो0प्रा0लि0 :– समीक्षा में पाया गया कि संस्था को आवंटित कुल कुल 301 नग लक्षित अवर जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 240 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किये गये है एवं 61 नग अवर जलाशय का कार्य अभी निर्माणाधीन है। इस धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर मै0एल0सी0इन्फ्रा प्रो0प्रा0लि0 को कड़े निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं के सापेक्ष समस्त अवशेष अवर जलाशयों का कार्य प्रत्येक दशा में दिसम्बर 2026 तक शत–प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2– मै0विंध्या टेलीलिंक्स लि0–गजा इंजी0प्रा0लि0 :– समीक्षा में पाया गया कि संस्था को आवंटित कुल कुल 600 नग लक्षित अवर जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 179 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किये गये है एवं 421 नग अवर जलाशय का कार्य अभी निर्माणाधीन है। इस धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर मै0विंध्या टेलीलिंक्स लि0–गजा इंजी0प्रा0लि0 को कड़े निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं के सापेक्ष समस्त अवशेष अवर जलाशयों का कार्य प्रत्येक दशा में मार्च 2027 तक शत–प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

3– एजेन्सीयों द्वारा निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर तैनात किये गये ऑपरेटर एवं गार्ड के मासिक मानदेय का भुगतान समयान्तर्गत नहीं किया जा रहा है अथवा विलम्ब से किया जा रहा है जिस कारण ऑपरेटर एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है एवं प्रशासनिक स्तर पर शिकायत की जा रही है। उक्त के सम्बन्ध में एजेन्सीयो को निर्देशित किया गया कि योजनाओं पर तैनात मैनपावर का समयान्तर्गत भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

4– अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिए गए कि वे उक्त माइलस्टोन्स के अनुसार अवर जलाशय एवं योजनाओं की प्रगति बढ़ाये जाने हेतु एजेन्सियों की साप्ताहिक भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग करें एव विलंब की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करें।

2. ग्रामों में आ रही समस्यों के निस्तारण हेतु जन–संवाद योजना (Communication Plan)।

योजनाओं के धरातल पर सुचारु क्रियान्वयन और ग्रामवासियों की समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु एक सुदृढ़ कम्युनिकेशन प्लान लागू करने के निर्देश दिए गए।

1– कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पृथक टीम का गठन:– कार्यदायी संस्थाओं (मै० एल०सी०इन्फ्रा एवं मै० विंध्या टेलीलिंक्स) को निर्देशित किया गया कि वे योजनाओं की नियमित प्रगति की निगरानी तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर आ रही समस्याओं की पहचान हेतु अपनी एक पृथक (Separate) समर्पित टीम नियुक्त करें। संस्थाओं की यह टीम नियमित रूप से प्रत्येक ग्राम के न्यूनतम 05 ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर वास्तविक प्रगति का संज्ञान लेगी तथा तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेगी।

2– सपोर्ट एजेन्सियों द्वारा क्रॉस–सत्यापन– आई०एस०ए० (ISA), आई०ई०सी० (IEC) एवं डी०पी०एम०यू० (DPMU) की टीमें भी प्रत्येक कवर्ड एवं निर्माणाधीन ग्राम से न्यूनतम 05 ग्रामीणों (जैसे– ग्राम

प्रधान, VWSC सदस्य, आशा/आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं आम उपभोक्ता) से नियमित अंतराल पर दूरभाष अथवा भौतिक रूप से सीधा संवाद स्थापित कर क्रॉस–वेरिफिकेशन करेंगी।

3– इस जन–संवाद के माध्यम से पाइप लाइन बिछाने, हाउस कनेक्शन (FHTC), रोड रेस्टोरेशन और जलापूर्ति की वास्तविक स्थिति का फीडबैक लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में पूर्व बैठक में भी उक्त निर्देशो का अनुपालन करने के निर्देश दिये गये थे, उपरोक्तानुसार ही जन संवाद के माध्यम से ग्रामों में आ रही समस्याओं का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

3. थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी (TPI) द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण एवं सघन मॉनिटरिंग

1– बैठक में थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी (TPI) के डी०पी०एम० को कड़े निर्देश दिए गए कि वे अपनी जनपदीय टीम के माध्यम से निर्माणाधीन समस्त परियोजनाओं की नियमित एवं सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

2– यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामों में किये जा रहे कार्यो यथा रोड रेस्टोरशन, अवर जलाशय एवं पाइप लाइन निर्माण कार्यो में उचित गुणवत्ता एवं निर्धारित मानको का पूर्ण अनुपालन किया जाये।

3– सामग्री या निर्माण गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी या विचलन पाए जाने पर टी०पी०आई० तत्काल अपनी रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करे।

4– टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि बैठक में समीक्षा किये गये समस्त बिन्दुओं के सापेक्ष दैनिक रोस्टर निर्धारित करते हुए समस्त ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व अधिशासी अभियन्ता एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करे।

4. रोड रेस्टोरेशन एवं ग्रीष्मकालीन जलापूर्ति प्रबन्धन

1– रोड रेस्टोरेशन– पूर्व में मा० प्रभारी मंत्री जी द्वारा रोड रेस्टोरेशन के कार्यों के सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि पाइपलाइन बिछाने के उपरांत सड़कों की मरम्मत का कार्य तत्काल एवं पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। TPI इसका नियमित भौतिक सत्यापन करेंगे।

2– ग्रीष्मकालीन जलापूर्ति– ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रुप से जलापूर्ति किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये। पाईप लाईन लिकेज, मोटर खराब होना, या सोलर में समस्या आने पर संबंधित एजेन्सी तत्काल मरम्मत कर जलापूर्ति सुचारु करेगी। अधिकतर योजनाओं में डायरेक्ट पम्पिंग से आ रही जलापूर्ति की समस्याओं का त्वरित तकनीकी समाधान निकाला जाए।

3– सीमावर्ती ग्राम– मा० मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले उत्तराखण्ड की सीमा से लगे समस्त सीमावर्ती ग्रामों में कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. जिला तकनीकी इकाई (DTU) के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु गठित जिला तकनीकी इकाई (DTU) के दायित्वों की भी समीक्षा की गयी। निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन की समस्त योजनाओं को सुजलाम भारत डेटाबेस के अन्दर लाया जाए, डिजिटल टिकटिंग सिस्टम पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) से प्राप्त होने वाली तकनीकी एवं ऑपरेशनल समस्याओं का पारदर्शी व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कराया जाए एवं जिला तकनीकी इकाई से सम्बन्धित समस्त दिशा निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष एवं निर्देश–

सभी नामित सदस्यों, कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से आपसी समन्वय स्थापित करें एवं ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के ससमय पूर्ण होने तथा उनके प्रभावी संचालन व अनुरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में निर्धारित जल सारथी एप लॉगिन के सापेक्ष अपना लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

RVS 19/8/2025

(रण विजय सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
बिजनौर

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।

पत्रांकः 4411 /जल जीवन मिशन–बैठक कार्यवृत्त/2026–27/359 दिनांकः– 22.8.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, बिजनौर।
2– समस्त सदस्य जिला तकनीकी इकाई, बिजनौर।
3– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0जल निगम(ग्रामीण), बिजनौर।
4– जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर।
5– पी0एम0, मै0.आरवी एसोसिएटस (TPI) बिजनौर।
6– जिला समन्वयक, मै0मेधज प्रा0लि0(DPMU), बिजनौर।
7– समस्त आई0एस0ए0, जनपद बिजनौर।
8– जिला समन्वयक, समस्त आई0ई0सी0, बिजनौर।
9– प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0विंध्या टेलीलिंक्स लि0–गजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0 जे0वी0/ मै0एल0सी0इन्फ्रा प्रो0प्रा0लि0 बिजनौर।

मुख्य विकास अधिकारी
बिजनौर।